महत्वपूर्ण एवं खास

भैंगनार पठार पर सारंगढ़ पुलिस की शराब रेड कार्रवाई

55 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक अमित शुक्ला के नेतृत्व में सारंगढ़ पुलिस सट्टा पट्टी व शराब पर कार्यवाही तेज कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा से मिले निर्देश के बाद सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत जुआ, सट्टा पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी बीच आज दिनांक 08.07.2021 को मुखबिर सूचना पर भैंगनार पठार ऊपर घेराबंदी कर सारंगढ़ पुलिस द्वारा शराब रेड कार्रवाई किया गया है। सारंगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम भैंगनार का श्याम कुमार मुण्डा अपने गांव के पठार झाड़ी पास अवैध शराब बना कर बिक्री के लिये छिपाकर रखता है। मौके पर जाकर पुलिस टीम घेराबंदी की पुलिस पार्टी को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा जिसे दौड़ाकर पकड़ा गया पूछताछ करने पर अपना नाम श्याम कुमार मुण्डा पिता बुद्धु मुण्डा उम्र 32 वर्ष साकिन भैंगनार थाना सारंगढ का होना बताया तो जिसके कब्जे से 15 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरिकेन में कुल 55 लीटर महुआ शराब की जप्ती किया गया है। आरोपी पर थाना सारंगढ़ में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है। निरीक्षक थाना प्रभारी सारंगढ़ अमित शुक्ला के निर्देशन पर कार्रवाई में प्रधान आरक्षक टीकाराम खटकर, अर्जुन पटेल, आरक्षक पारसमणी बेहरा, विरेन्द्र कुमार ठाकुर, जयराम साहू, कन्हैया खुंटे, कृष्णा महंत, महिला आरक्षक सम्पति भगत का सराहनीय योगदान था।

मोटर सायकल में शराब का परिवहन करते दो आरोपी पकड़ाये

आरोपियों से 40 लीटर महुआ शराब व बाइक की जब्त, कोतरारोड़ पुलिस की कार्रवाई

रायगढ़। एसपी अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन पर थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक चमन सिन्हा के नेतृत्व में कोतरारोड़ पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा आज दिनांक 08.07.2021 को मुखबिर सूचना पर ग्राम कोतरा बाजार चौक में घेराबंदी कर बिना नंबर की 125 सीसी पल्सर मोटर सायकल में शराब लेकर तारापुर की ओर से आ रहे दो व्यक्तियों को पकड़ा गया। पूछताछ में बाइक का चालक अपना नाम जेक राम खड़िया पिता स्व0 आत्मा राम खड़िया उम्र 24 वर्ष एवं पीछे बैठा व्यक्ति ने अपना नाम गौरांगो खड़िया पिता दुकालू खड़िया उम्र 28 वर्ष दोनों निवासी खड़ियापारा लोहरसिंग थाना पुसौर का रहने वाले बताये,जिनके पास से कुल 40 लीटर महुआ शराब कीमती 4000 रुपए एवं घटना में प्रयुक्त एक बिना नंबर प्लेट की काले रंग की 125सीसी वाली पल्सर मोटर सायकल कीमती 70,000 रुपए को जप्त किया गया है। आरोपियों पर थाना कोतरारोड़ में धारा 34 (2), 59 (क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है।

सारंगढ़ आम चुनाव : मतदाता सूची तैयार किये जाने हेतु मास्टर ट्रेनर नियुक्त

रायगढ़ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भीम सिंह द्वारा नगर पालिका परिषद सारंगढ़ के आम चुनाव 2021 के लिये मतदाता सूची तैयार किये जाने हेतु मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए गए है। जिनमें शा.उ.मा.शाला चक्रधर नगर रायगढ़ के प्राचार्य राजेश डेनियल तथा शास.क.उ.मा.सारंगढ़ के तीन व्याख्याता एस.आर.अजय, जे.आर.बंजारे एवं प्रदीप कुमार पाणिग्रही को मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

12 जुलाई स्थानीय अवकाश के कारण नियत प्रकरणों की सुनवाई होगी 13 सितम्बर को

रायगढ़ । न्यायालय कलेक्टर रायगढ़ द्वारा सर्व पक्षकारगण/अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि 12 जुलाई 2021 जिला रायगढ़ में स्थानीय अवकाश होने के कारण उक्त दिनांक को नियत समस्त प्रकरणों (आदेश हेतु नियत प्रकरणों को छोड़कर) की सुनवाई आगामी पेशी दिनांक 13 सितम्बर 2021 के लिये नियत किया गया है।

छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1.04 करोड़ टीके लगाए गए

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ में अब तक (8 जुलाई तक) एक करोड़ तीन लाख 84 हजार टीके लगाए गए हैं। आबादी के हिसाब से टीकाकरण कवरेज के मामले में छत्तीसगढ़ देश के कई बड़े राज्यों से आगे है। प्रदेश में तीन लाख नौ हजार स्वास्थ्य कर्मियों, तीन लाख 16 हजार फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 48 लाख 20 हजार और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 31 लाख 32 हजार नागरिकों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है।

आंगनबाड़ियों में बच्चों को जल्द मिलना शुरू होगा रागी के लड्डू

» कलेक्टर सिंह की पहल पर जिले के आदिवासी विकासखण्डों में शुरू होने जा रहा विशेष कार्यक्रम

» प्रोजेक्ट की तैयारी अंतिम चरणों में

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह की पहल पर रागी के पोषक गुणों से जिले में बच्चों, गर्भवती व एनीमिक महिलाओं की सेहत संवारने की दिशा में रागी की प्रोसेसिंग कर लड्डू तथा अन्य पोषक उत्पाद तैयार किये जाने संबंधी योजना जल्द मूर्त रूप लेने जा रही है। इसके लिये रागी की क्लीनिंग और प्रोसेसिंग यूनिट की मशीन आ चुकी है। इसका इस्टालेशन चल रहा है जो अगले 2-4 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। इसके पश्चात इस प्रोजेक्ट में शामिल महिला समूहों व मैन पॉवर की ट्रेनिंग होगी। इसके बाद रागी के लड्डू मिक्स पाउडर तैयार कर उसे आंगनबाड़ी में सप्लाई करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। जहां से इस मिक्स के लड्डू बनाकर बच्चों को दिए जायेंगे।

कलेक्टर सिंह ने तैयारियों की समीक्षा के लिये एक महत्वपूर्ण बैठक आज कलेक्टोरेट में ली। जिसमें इस प्रोजेक्ट के विभिन्न पहलुओं पर सभी संबंधित विभागों से चर्चा की गई। जिसके तहत किसानों से रागी की खरीदी, उसका स्टोरेज, प्रोसेसिंग व तैयार प्रोडक्ट के आंगनबाड़ी केन्द्रों तक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था के संबंध में चर्चा कर कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया। प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसानों द्वारा उत्पादित रागी की खरीदी के लिए कृषि और महिला बाल विकास विभाग के एमओयू किया जाएगा। महिला समूहों को इसमें जोड़ा जा रहा है, जिससे उनके लिये अतिरिक्त आय अर्जन का मौका सृजित होगा। बैठक में सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल, आकांक्षी जिलों के लिए राज्य कार्यक्रम अधिकारी नीरजा कुद्रीमोती, डीपीओ महिला बाल विकास टी.के.जाटवर, उप संचालक कृषि एल.एम.भगत सहित संबंधित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

तीन चरणों में होगा काम- रागी के लड्डू तैयार करने में तीन चरणों में काम होगा। जिला मुख्यालय स्तर पर स्थापित क्लिनिंग व प्रोसेसिंग यूनिट में रागी की छिलाई व सफाई होगी। दूसरे चरण में रागी से लड्डू मिक्स पाउडर तैयार किया जाएगा। जिसे आंगनबाड़ी केन्द्रों में सप्लाई किया जाएगा। तीसरे चरण में आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार मिक्स से लड्डू तैयार किया जाएगा। सभी चरणों में संलग्न महिला समूहों और मैन पावर की ट्रेनिंग करायी जाएगी। इस प्रोजेक्ट में महिला बाल विकास के साथ कृषि विभाग व बिहान की महिला समूहों की सक्रिय भूमिका होगी।

रागी में होता है दूध से तीन गुना ज्यादा कैल्शियम- हड्डियों को मजबूती के लिये जरूरी कैल्शियम रागी में चावल से 30 गुना तथा दूध से तीन गुना अधिक पाया जाता है। यह बढ़ते बच्चों व महिलाओं के लिये अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में यह लड्डू सप्ताह में दो दिन सुबह के नाश्ते के रूप में दिया जायेगा। शुरूआत में इसे जिले के पांच आदिवासी विकासखण्डों लैलूंगा, धरमजयगढ़, घरघोड़ा, खरसिया एवं तमनार में प्रारंभ किया जायेगा।

रॉ-मटेरियल से लेकर फायनल प्रोडक्ट तक सब जिले में होगा तैयार - इस शुरुआत से एक ओर जहां बच्चों की सेहत को संवारा जाएगा। वहीं दूसरी ओर रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। इस कार्यक्रम में रॉ-मटेरियल से लेकर फायनल प्रोडक्ट तक सब जिले में ही तैयार किया जायेगा। लड्डू और अन्य उत्पाद तैयार करने के लिए रागी का उत्पादन जिले के किसानों के द्वारा हो रहा है। जिसे महिला बाल विकास विभाग द्वारा खरीदा जाएगा। इसके अलावा रागी के प्रोसेसिंग और उससे लड्डू व उत्पाद, पैकिंग मटेरियल तैयार करने का काम स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा, जिससे उनके लिए भी आय अर्जन का मौका सृजित होगा।

रागी फसल का उत्पादन देखने पहुंचे कलेक्टर- कलेक्टर सिंह ने आज रागी के क्लिनिंग व प्रोसेसिंग के लिये इस्टाल किये मशीन का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने मशीन की कार्यप्रणाली व काम करने वाली महिला समूह से चर्चा कर उनके कार्यों की जानकारी ली। इसी प्रकार कलेक्टर सिंह ने ग्राम-कुर्मापाली में रागी के खेती का भी जायजा लिया। उन्होंने यहां के कृषक रमाकांत पटेल द्वारा दो एकड़ में ली जा रही रागी की फसल देखा और फसल उत्पादन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि रागी न केवल पौष्टिक गुणों से भरपूर है बल्कि इसकी खेती से भी दूसरी फसलों के मुकाबले किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकते है।

केलो का ब्राण्ड बनेगा स्व-सहायता समूह की पहचान

रायगढ़ । राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) अन्तर्गत जिले के सभी विकास खण्ड में स्व-सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल संगठन का गठन किया जा रहा है। जिले में अभी तक कुल 11360 स्व-सहायता समूह, 791 ग्राम संगठन व 36 संकुल संगठन का गठन हो चुका है।

स्व-सहायता समूह के सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और उन्हें प्रतिमाह 6000 रूपये की आय प्राप्त हो, इस हेतु योजना के विभिन्न घटकों से उन्हें लाभांवित किया जा रहा है। स्व-सहायता समूह को योजनान्तर्गत 15 हजार चक्रिय निधि के रूप में, 60 हजार सामुदायिक निवेश निधि के रूप में सहयोग भी किया जाता है। साथ ही साथ बैंक ऋण प्रकरण तैयार कर उनके आर्थिक स्थिति में सुधार का प्रयास किया जा रहा है।

गोधन न्याय योजना अन्तर्गत समूह को गोठानों से जोड़ा जा रहा है। जिले के स्व-सहायता समूह द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पाद भी तैयार कर स्थानीय स्तर पर विक्रय किया जा रहा है। जिले में अभी 325 सक्रिय गोठान है, जिनमें वर्मी उत्पादन के साथ-साथ स्व-सहायता समूह द्वारा साबून, सर्फ, अगरबत्ती, आचार, बड़ी, पापड़ इत्यादि सामग्री तैयार किया जा रहा है। स्व-सहायता समूह व्दारा उत्पादित सामग्री में गुणवत्ता के साथ-साथ पैकेजिंग व ब्राडिंग अच्छा हो इस हेतु प्रयास किया जा रहा है कि आगामी समय से स्व-सहायता समूह द्वारा उत्पाद सामग्री केलो रायगढ़ ब्राण्ड के नाम से बिक सके।

ग्रामीण से मोबाइल लूटपाट करने वाले आरोपी और लूट के मोबाइल खरीददार को भूपदेवपुर पुलिस की गिरफ्तार

रायगढ़। भूपदेवपुर पुलिस दिनांक 28/06/2021 को ग्रामीण से मोबाइल व नगदी लूटपाट के आरोपी व लूट की सम्पत्ति के खरीददार को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। मोबाइल लूट कारित करने वाला युवक अपने दो साथियों के साथ लूटपाट को अंजाम देना बताया है, जिसके दो साथियों की पुलिस तलाश कर रही है।

जानकारी के अनुसार दिनांक 28.06.2021 के दोपहर ग्राम कुशवाबहरी थाना भूपदेवपुर में रहने वाला गोरेश्वर साहू पिता अनंत राम साहू उम्र 52 वर्ष तेल लेने रायगढ अपने मोटर सायकल हीरो होण्डा स्पेलेण्डर एनएक्सजी क्रमांक सीजी13 पी-8174 में गया था। गोरेश्वर साहू रायगढ से एक टीपा तेल लेकर वापस घर जा रहा था जिसे शाम करीब 04.50 बजे ग्राम केराझर लक्की ढाबा के आगे मेन रोड पर एक मोटर सायकल में सवार तीन लडके (उम्र करीबन 20-25 साल) पीछे से सामने आकर हार्न देने लगे तो गोरेश्वर साहू अपने मोटर सायकल को धीरे किया। इतने में एक लड़का मोटर सायकल को पीछे से लात मारकर गोरेश्वर साहू को गाडी सहित गिरा दिया। उसके बाद मोटर सायकल के पीछे बैठे दोनो लडके मोटर सायकल से उतरे और बांस के डण्डा से गोरेश्वर साहू को मारने लगे और उसके जेब में रखे 5,000 रूपये, एक जियो मोबाइल और गाड़ी का आरसी बुक, बीमा, पेन कार्ड, आधार कार्ड को लूटकर भाग गये। लूट की रिपोर्ट पर थाना भूपदेवपुर में अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध अप.क्र. 128/2021 धारा 394 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

विवेचना के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा तथा एसडीओपी खरसिया पीतांबर पटेल के दिशा निर्देशन पर भूपदेवपुर पुलिस सायबर सेल की मदद से आरोपियों की पतासाजी करते हुए संदेही विक्की चौधरी एवं अजय वैष्णव तक पहुंची। दोनों को हिरासत मे लेकर पूछताछ करने पर संदेही अजय वैष्णव अपने अन्य दो साथियों के साथ मोबाइल व नगदी लूट करना स्वीकार किया एवं लूट की मोबाइल को विक्की चौधरी को बेचना बताया। आरोपी विक्की चौधरी लूट की मशरूका एक छुद्बश मोबाइल कीमती 1500 जप्त को खरीदना स्वीकार किया है, जिससे प्रकरण में धारा 411 आईपीसी जोड़ी गई। आरोपी विक्की से लूट की मोबाईल तथा आरोपी अजय वैष्णव से नगदी 500 रूपये बरामद किया गया है। दोनों आरोपी 1. अजय कुमार वैष्णव पिता महेश कुमार उम्र 22 वर्ष निवासी कबीर चौके सामने झोपडीपारा चौकी जूटमिल 2. विक्की चौधरी पिता रामलाल उम्र 24 वर्ष निवासी जूटमिल के सामने गली वार्ड क्रमांक 13 चौकी जूटमिल थाना कोतवाली जिला रायगढ को आज दिनांक 09/07/2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण के अन्य दो आरोपियों की भूपदेवपुर सरगर्मी से तलाश कर रही है।

मंगेतर की बेहरमी से हत्या करने वाले आरोपी गिरफ्तार

» लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम राजगांव से कोडासिंया रोड के बीच मिला था युवती का शव

रायगढ़। दिनांक 08/07/2021 को थाना लैलूंगा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम राजगांव और कोडासिंया रोड के बीच ग्राम सरडेगा की शिवकुमारी पैंकरा (19 साल) का शव मिलने की सूचना मृतिका के पिता के मनबोध पैंकरा द्वारा थाना प्रभारी लैलूंगा को दिया गया। सूचना पर थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक एलपी पटेल हमराह स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा द्वारा सायबर सेल, स्नरू टीम तथा पुलिस डॉग को रायगढ़ से रवाना होने का निर्देश दिये।

घटनास्थल पहुंचकर जांच कर रही पुलिस टीम को सूचनाकर्ता मृतिका के पिता बताये कि उसकी लड़की शिवकुमारी एवं आजाद पैंकरा पिता शेखर निवासी राजपुर के बीच प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों की शादी करने वाला था, पिछले दो साल से आजाद पैंकरा इनके घर पर रहता था। दिनांक 07/07/2021 को शाम आजाद पैंकरा मोटर सायकल में शिवकुमारी को साथ लेकर सरडेगा से अपने गांव राजगांव शादी घर लेकर गया था। दिनांक 08/07/2021 के सुबह शिवकुमारी का शव राजगांव से कोडासिंया रोड पर पुस्तम कोलता के खेत पास पडा मिला, शिवकुमारी के सिर को पत्थर से मारकर कुचलने तथा गर्दन में नाखून से दबाने के निशान थे। घटना के संबंध में थाना प्रभारी द्वारा अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 184/2021 धारा 302, 201 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिये।

घटना को लेकर मृतिका के परिजनों द्वारा मृतिका के मंगेतर आजाद पैंकरा पर हत्या का संदेह किये। संदेही आजाद पैंकरा घटना के बाद से नदारद था। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा घटना के संबंध में पल-पल की जानकारी ले रहे थे। उनके द्वारा संदेही की पतासाजी के लिये पुलिस टीम अलग-अलग क्षेत्र में रवाना करने के निर्देश एसडीओपी धरमजयगढ़ सुशील नायक को दिए, जिस पर थाना प्रभारी निरीक्षक एलपी पटेल, उपनिरीक्षक बीएस पैकरा, सहायक उप निरीक्षक विजय गोपाल, प्रधान आरक्षक जयशरण चन्द्रा, सोमेश गोस्वामी, आरक्षक मयाराम राठिया, अमरदीप एक्का, लव किशोर साय, आनंद निराला, हेलारियुस तिर्की, प्रहलाद भगत, विभूति सिंह की अलग-अलग टीमें आरोपी पतासाजी के लिये रवाना हुई। रायगढ़ जिले के सभी थानों में संदेही के हुलिया के आधार पर नाकाबंदी एवं सघन चेकिंग हेतु आदेश दिया गया। आरोपी के पूंजीपथरा के आसपास होने की जानकारी मिलने पर तत्परता से पुलिस टीम संदेही को हिरासत में लेने में सफलता हुई। संदेही आजाद पैंकरा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर वह अपराध करना स्वीकार करते हुए बताया कि मृतिका शिवकुमारी अन्य लड़कों से मोबाइल में बातचीत करती थी जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसकी घटनास्थल पर गला दबाकर सिर और सीने में पत्थर से कुचल कर हत्या कर दिया। आरोपी से मृतिका की मोबाइल, मोटरसाइकिल एवं घटना में प्रयुक्त सामान वजह सबूत जप्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपी आजाद पैंकरा पिता शेखर पैंकरा उम्र 19 साल निवासी राजपुर लैलूंगा को आज दोपहर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। आरोपी के पकड़े जाने पर क्षेत्र की जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है।

अपने प्रकरणों का आज भी लोक अदालत में रखकर कर सकते हैं, अपने विवादों का निपटारा

रायगढ़ । दिनांक 10 जुलाई 2021 को सभी मामलों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन वर्चुअल एवं फिजिकल माध्यम से जिला मुख्यालय रायगढ सहित तहसील न्यायालय सारंगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, खरसिया में किया जा रहा है, जिसमें कोविड-19 के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, लोक अदालत से पूर्व न्यायालय परिसर को कोविड संक्रमण से बचाव हेतु सैनिटाइजेशन किया गया है तथा लोक अदालत के दिन पक्षकारों के न्यायालय में प्रवेश से पूर्व कोविड संक्रमण से सुरक्षार्थ अन्य व्यवस्थाएँ भी की गई हैं।

यदि आपका कोई मामला राजीनामा योग्य है तथा वह न्यायालय में लम्बित है और आप अपने प्रकरणों को आयोजित इस नेशनल लोक अदालत में नहीं रख सके हैं, तो बिना अवसर गवाएँ आप तुरन्त न्यायालय में स्वयं आकर अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना मामला लोक अदालत में रखवाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

कैण्टीन संचालन के लिये 26 जुलाई तक निविदा आमंत्रित

रायगढ़ । कलेक्टोरेट परिसर रायगढ़ में स्थित कैण्टीन को दो वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 तक संचालन के लिये वार्षिक ठेका पर दिये जाने हेतु 26 जुलाई 2021 अपरान्ह 3 बजे तक प्रभारी अधिकारी नजरात शाखा जिला कार्यालय के समक्ष निविदा पेश कर सकते है। निविदा उसी दिन शाम 5 बजे खोली जायेगी जिसमें स्वयं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है। कैण्टीन संचालन के लिये वार्षिक ठेका पर दिये जाने हेतु निर्धारित नियम/शर्तो के अधीन योग्य अनुभवी व्यक्ति/संस्थान/समूह से वार्षिक किराये पर संचालित करने हेतु निविदा सूचना 23 जून 2021 को निविदा आमंत्रित किया गया था। निर्धारित समय तक कोई भी निविदा प्राप्त न होने के कारण उक्त निविदा की तिथि 26 जुलाई 2021 तक बढ़ाया जाकर पुनः निविदा आमंत्रित किया गया। ठेके/किराये की आवश्यक शर्ते व कार्य का विवरण/आवेदन पत्र कार्यालयीन समय में जिला नाजिर, जिला कार्यालय के पास 500 रुपये प्रपत्र शुल्क के साथ 26 जुलाई 2021 तक प्राप्त की जा सकती है अथवा जिले के वेबसाईट भी अवलोकन कर निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है इस स्थिति में भी निविदा शुल्क ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से अनिवार्य जमा कराना होगा।

अजय कबाड़ी के अमलीभौना गोदाम पर कोतवाली व जूटमिल की संयुक्त टीम ने की रेड

» माजदा वाहन में अवैध कबाड़ मिलने के बाद गोदाम की गई सील

» मौके पर एक आरोपी गिरफ्तार, गोदाम से 6 टन कबाड, एक एलपीजी सिलिंडर व तीन गैस कटर जब्त

रायगढ़। दिनांक 08/07/2021 के रात्रि पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के निर्देशन पर कोतवाली एवं जूटमिल पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से रद्दी, प्लास्टिक, टूट-फुट की खरीदी करने वालों के गोदामों की तस्दीकी अभियान छेडा गया। देर रात्रि प्रभारी जूटमिल उप निरीक्षक आर.एस. नेताम को अमलीभौना के पास एक माजदा वाहन में चोरी का सामान लोड़ होने की सूचना मिली। सूचना थाना प्रभारी कोतवाली को दिये जाने पर टीआई कोतवाली मनीष नागर स्टाफ लेकर मौके पर पहुंचे, जहां जूटमिल प्रभारी भी स्टाफ के साथ मौजूद थे। मौके पर एक टाटा स्वराज माजदा चार चक्का वाहन सीजी 13एके- 2294 खड़ी थी जिसके अंदर कमानी पट्टा, छड़, डिस्क लोड था। वाहन के पास मौजूद उत्तम कुमार राम गाड़ी में लोड माल को अजय सिंह कबाड़ी का होना बताया तथा कोई कागजात सम्पत्ति का नहीं होना बताया। वाहन में लोड स्क्रैप का वजन 6 टन कीमती 1,86,800 रूपये एवं गोदाम पर मिले एक एलपीजी सिलिंडर, तीन नग गैस कटर की जप्ती की गई। गोदाम का मालिक अजय सिंह कबाड़ी फरार था। जूटमिल पुलिस गिरफ्तार आरोपी उत्तम कुमार राम पिता स्व मौलेश्वर राम उम्र 25 साल निवासी धरमपुर थाना खैरा जिला जैमुरा बिहार हाल मुकाम अमनीभौना जूटमिल रायगढ़ को गिरफ्तार कर आरोपी तथा फरार गोदाम मालिक अजय सिंह पर धारा 41(1+4) सीआरपीसी/379 आईपीसी के तहत कार्रवाई की गई है। कार्यवाही बाद देर रात्रि संयुक्त टीम द्वारा गोदम को सील किया गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर, उप निरीक्षक आरएस नेताम चौकी जूटमिल, प्रधान आरक्षक शम्भू पाण्डेय चौकी जूटमिल, आरक्षक विनोद शर्मा थाना कोतवाली, आरक्षक प्रकाश गिरी गोस्वामी, ओशनिक विश्वाल, सत्या यादव, बनारसी सिदार चौकी जूटमिल की सराहनीय भूमिका रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480